न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 05/2017

असलम अली आयु 54 वर्ष पुत्र असगर खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम अठवास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... वादी

बनाम

1. ताजुखां आयु 45 वर्ष स्वर्गीय असगर खां
2. हुसैन खां आयु 43 वर्ष पुत्र स्वर्गीय असगर खां
3. बशीरा आयु 85 वर्ष स्त्री स्वर्गीय असगर खां
   समस्त जाति कायमखानी निवासी ग्राम अठवास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
4. तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर

.... प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

दावा बाबत उद्घोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती अंतर्गत धारा 88 व 91 आर.टी.एक्ट व धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता

श्री रिड़मल सिंह – वादी
श्री कंचन खीचड़ – प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

मौजूद मौजूद हुसनखां

निर्णय

दिनांकः– 15.01.2018

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अठवास में स्थित कृषि भूमि पुराना खसरा नंबर 364/1 व 347/499 नया खसरा नंबर 95, 190 व 191 की सम्पूर्ण भूमि कुल रकबा 2.97 हैक्टयर में से वादी असलम अली उक्त भूमि के 1/4 हिस्से पर अपने पिता असगर खां के देहान्त के बाद से अन्य सह हिस्सेदारों की जानकारी में काबिज काश्तकार चला आ रहा है। दावा की मद संख्या एक में दर्ज सजरा खानदान के अनुसार स्वर्गीय असगर खांक के भंवरु खां के नाम का कोई पुत्र नहीं था लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने गलती से वादी की बिना जानकारी व बिना सूचना दिये ग्राम अठवास में स्थित कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 364/1 व 347/499 नया खसरा नम्बर 95,190 व 191 के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता असगर खां के देहान्त हो जाने पर नामान्तकरण संख्या 516 दिनांकित 05.06.1992 में उक्त आराजी के खाते में वादी का नाम असलम अली के स्थान पर गलत रूप से भंवरू खां दर्ज कर दिया। जो भंवरू खां नाम हटाये जाने योग्य है तथा भंवरू खां के स्थान पर असलम अली दर्ज किये जाने योग्य है।

वादी को ग्राम अठवास व वादी के समाज व रिश्तेदारी में असलम अली पुत्र असगर खां के रूप में जाना व पहचाना जाता है तथा वादी का वास्तविक नाम ही असलम अली है जो भंवरू खां के स्थान पर असलम अली दर्ज किये जाने योग्य है। वादी के पार्सपोट भी बना हुआ है जिसमें भी वादी का नाम असलम अली पुत्र असगर खां दर्ज है तथा वादी के तमाम अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड व बैंक में खाता वोटर लिस्ट आदि तमाम दस्तावेज में वादी का नाम असलम अली दर्ज है इसलिये ग्राम अठवास में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराना 364/1 व 347/499 और खसरा नंबर नया/वर्तमान 95,190 व 191 के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भंवरु खां के स्थान पर असलम अली दर्ज किये जाने योग्य है उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में भंवरु खां के स्थान पर वादी का वास्तविक व सही नाम असलम अली दर्ज किये जाने से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हाति नहीं होगी इसलिये वादी का ग्राम अठवास में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 364/1 व 347/499 व नया/वर्तमान 95,190 व 191 में भंवरु खां के स्थान पर असलम अली दर्ज किये जाने योग्य है।

वादी असलम अली अपने पिता असगर खां के देहान्त के बाद उक्त भूमि के 1/4 हिस्से पर काबिज चला आ रहा है। वादी को उक्त गलत नाम की जानकारी उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 23/02/2017 को लिये जाने से जानकारी हुई है इसलिये वादी को अपना वास्तविक व सही नाम असलम अली दर्ज करवाने हेतु दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

मौजुद मौजद

उद्‌घोषण फरमाई जावे कि तहसील फतेहपुर के ग्राम अठवास में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर पुराना 364/1,347/499 व नया खसरा नंबर 95, 190 व 191 में दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार भंवरुखां पुत्र असगर खां का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर असलम अली दर्ज फरमाया जावे तथा शेष खाता व नाम बदस्तूर जारी रहेगा और उक्त नामान्तरकरण संख्या 516 दिनांक 05/06/1992 वादी भंवरु खां का नाम दर्ज होने तक निरस्त फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से एड. कंचन खीचड़ ने वकालतनामा पेश किया व जवाब-दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 2 व 4 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी सं. 2 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार, फतेहपुर से मौके की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार फतेहपुर ने अपने पत्रांक भू. अ./2017 दिनांक 04.12.2017 से रिपोर्ट प्रेषित की। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम अठवास खाता संख्या 128 में भवरू खां पुत्र असगर खां नाम दर्ज है जबकि अन्य कागजातों में असलम अली पुत्र असगर खां दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में असगर खां की मृत्यु होने पर विरासत के नामान्तरण संख्या 516 दिनांक 05.06.1992 में भंवरू खां पुत्र असगर खां दर्ज किया गया।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने एवं तहसीलदार फतेहपुर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वादी का नाम असलम अली पुत्र असगर खां है जो असगर खां की मृत्यु होने पर विरासत के नामान्तरण संख्या 516 दिनांक 05.06.1992 में भंवरू खां पुत्र असगर खां दर्ज किया गया।

आदेश

अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम अठवास में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर पुराना 364/1,347/499 व नया खसरा नंबर 95, 190 व 191 में दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार भंवरुखां पुत्र असगर खां का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर असलम अली पुत्र असगर खां दर्ज किये जाने एवं उक्त नामान्तरकरण संख्या 516 दिनांक 05/06/1992 वादी भंवरु खां का नाम दर्ज होने तक निरस्त किये जाने तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास ______रेनू मीणा (आर.ए.एस..)..

असलम अली आयु 54 वर्ष पुत्र असगर खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम अठवास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... वादी

बनाम

1. ताजुखां आयु 45 वर्ष स्वर्गीय असगर खां
2. हुसैन खां आयु 43 वर्ष पुत्र स्वर्गीय असगर खां
3. बशीरा आयु 85 वर्ष स्त्री स्वर्गीय असगर खां

   समस्त जाति कायमखानी निवासी ग्राम अठवास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
4. तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती अंतर्गत धारा 88 व 91 आर.टी.एक्ट व धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

मुकद्दमा नं.....05............................सन्....2017...

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे...

व हाजिरी...श्री रिड़मल सिंह एडवोकेट..........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री कंचन खीचड़ ....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम अठवास में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर पुराना 364/1,347/499 व नया खसरा नंबर 95, 190 व 191 में दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार भंवरुखां पुत्र असगर खां का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर असलम अली पुत्र असगर खां दर्ज किये जाने एवं उक्त नामान्तरकरण संख्या 516 दिनांक 05/06/1992 वादी भंवरु खां का नाम दर्ज होने तक निरस्त किये जाने तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

निज........– ....मुबलिग...............–.....................बाबत.......................–.....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह................–...........................फीसदी सालाना आज की तारीख से

तरीख अदायगी तक...का अदा करें।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

हुसनखां

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....15.......माह ......जनवरी..........सन् 2018 को जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

मुहर

दस्तखत..

ओहदा..

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	4		स्टाम्प अर्जी दावा	–	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	–		मुतफरिक	–	
मीजान	5			1	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)